

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 135] तृई दिल्ली, सोमवार, अग्रेर 14, 1969/चैत्र 24, 1891

N^o. 135] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 14, 1969/CHAITRA 24, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND
COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 14th April 1969

S.O. 1425/IDRA/18G/69.—In exercise of the powers conferred by section 18G and section 23 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Cement Control Order, 1967, namely,—

1. (1) This Order may be called the Cement Control (Amendment) Order, 1969
- (2) It shall come into force with effect from the 16th April 1969.

2 In clause 8 of the Cement Control Order, 1967, (hereinafter referred to as the said Order)—

- (i) in item (a), for the figures "148.53" the figures "152.13" shall be substituted;
- (ii) in item (b), for the figures "125.53" the figures "129.13" shall be substituted.

3. For the Schedule to the said Order, the following Schedule shall be substituted, namely—

“THE SCHEDULE

(see clause 7)

Name of Producer.	Price per metric tonne.
Ex-Factory Price.	1. M/s. Travancore Cements Limited, Kottayam.
	Rs. 113.25
	2. All other producers.
	Rs. 100.00

In the case of rapid hardening cement and low heat cement an additional price of Rs. 12 per metric tonne may be added to the price specified above.

In the case of cement delivered ex-Sewri Works and ex-Ahmedabad Works of Shree Digvijay Cement Company Limited, an additional price of Rs. 42.80 and Rs. 23.00 per metric tonne, respectively, may be allowed.”

[No. 1-67/68-Cem.]

K. BALACHANDRAN, Jt. Secy.

प्रौद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा सवशास-कार्य मंत्रालय

(प्रौद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 अप्रैल 1969

एल० ओ० 1426.—आई० डी० आर० ए०/18 जी०/69 उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18ख और धारा 25 के द्वारा प्रवृत्त तथा इस सम्बन्ध में उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा सीमेंट नियंत्रण आदेश 1967 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात्:—

1 (1) यह आदेश सीमेंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश 1969 कहलायेगा।

(2) यह 16 अप्रैल 1969 से लागू किया जायेगा।

2. सीमेंट नियंत्रण आदेश 1967 (जिसका उल्लेख आगे चलकर उपयुक्त आदेश के रूप में किया जाएगा) के खण्ड 8 में:—

(1) मद संख्या (क) में “148.53” आंकड़े के स्थान पर “152.13” आंकड़े रखे जायेंगे;

(2) मद संख्या (ख) में “125.53” आंकड़े के स्थान पर “129.13” आंकड़े रखे जायेंगे।

3. उक्त आदेश की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जायेगी अर्थात्:—

अनुसूची

(खण्ड 7 देखिए)

निर्माता का नाम	प्रति मी० टन मूल्य
कारखाने से चलते समय	1. मे० त्रावणकोर सीमेंट्स लिमिटेड, कोट्टायम
	113.25 रु०
का मूल्य	2. अन्य सभी निर्माता
	100.00 रु०

क्षीय कड़ा हो जाने वाला (रैपिड हार्डनिंग) सीमेंट तथा निम्न ताप (लो-हीट) सीमेंट के सम्बन्ध में उल्लिखित मूल्य में 12 रु० प्रति मी० टन का अतिरिक्त मूल्य जोड़ा जायेगा ।

श्री बिम्बिजय सीमेंट कम्पनी लिमिटेड के सिवरी कारखाने तथा अहमदाबाद कारखाने से दिये जाने वाले सीमेंट के कारखाने से चलते समय के मूल्य में क्रमशः 42. 80 रु० और 23. 00 रु० प्रति मीट्रिक टन के अतिरिक्त मूल्य की अनुमति दी जायेगी ।”

[सं० 1-67/68-सीमेंट.]

के० बालधन्वन, संयुक्त सचिव ।

